

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

वाद सं०-317/2020

सीतो महतो

-बनाम्-

उमेश यादव वगैरह

आदेश

01.03.2021 थाना प्रभारी, गाँवा के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आपसी गोतिया के बीच हिस्सेदारी एवं भूमि के वास्तविक दखल से संबंधित इस प्रकार के विवाद का निदान सक्षम दीवानी न्यायालय के अधिकारिता का विषय है तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)